2– इस सम्बन्ध में वर्तमान पदधारकों को वर्तमान अर्हता सहित तद्नुसार संशोधित वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–वेतन) अनुमन्य होंगे।

3– उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे०आ०–..–84/दस–59(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4– उपर्युक्तानुसार निर्धारित की जा रही अर्हता का समावेश करते हुए सेवा नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यापित करायी जायेगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे०आ०–2–1432/दस–2011 दिनांक 11–11–11 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार), विशेष सचिव।

❑❑❑

लिपिकीय संवर्ग के ग्रेड वेतन संशोधन

संख्या–वे०आ०–2–2105/दस–54(एम) 2008 टी०सी०

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011

विषय : उ०प्र० सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– वे०आ०–2–2053/दस–54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या–वे०आ०–2–401/दस–54(एम)/2008 टी०सी०, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णयों पर पुनर्विचार करते हुए निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

(1) ऐसे विभागों जिनमें वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग से अन्य संवर्गों में उपलब्ध पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, वहां लिपिकीय संवर्ग से अन्य संवर्ग में पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था को बहाल कर दिया जाय।

(2) लिपिकीय संवर्ग के ऐसे वरिष्ठ सहायक जो वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में लिये गये निर्णयों को लागू किये जाने के पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 4500–7000 में थे, के लिये वेतनमान रु० 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु० 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराते हुए पदनाम प्रधान सहायक रखा जाये। प्रधान सहायक के पदो को पुनर्गठित संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने का प्रावधान किया जाय।

(3) लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रु० 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु० 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रु० 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु० 4600 तत्काल प्रभाव के अनुमन्य कराया जाय।

(4) प्रशासनिक अधिकारी के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से

शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

2. कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल), विशेष सचिव।